

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

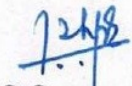
अपीलकर्ता : बंदी सिकंदर पुत्र श्री आकिल
आर.टी.आई कम्प संख्या : डायरी न० 34 दिनांक 02/01/2023
अपील कम्प संख्या : 07 दिनांक 06/02/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-(10) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन दिनांक 25/01/2023 और प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-(10) के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञापन पर असंतुष्टि दर्ज की है।

दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- (10) के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन में प्रश्न संख्या- 1, 3 व 4 में दिल्ली कारागार नियम 2018 के विशिष्ट नियम या अध्याय का वर्णन नहीं किया है तथा प्रश्न संख्या- 2 की जानकारी हेतु आर.टी.आई. आवेदन को संबंधित जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक को अग्रसारित नहीं किया है।

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- 10 को आदेश दिया जाता है कि वह प्रश्न संख्या- 1, 3 व 4 में अपीलकर्ता को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में दिल्ली कारागार नियम 2018 के विशिष्ट नियम या अध्याय की सूचना उपलब्ध कराए तथा प्रश्न संख्या- 2 के लिए आर.टी.आई. आवेदन को संबंधित जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक को अग्रसारित करे। उक्त पत्राचार इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।


उप महानिरीक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी 0/C

बंदी सिकंदर पुत्र श्री आकिल

F10(3476489)/ID-Appeal General/CJ/Legal/2023/ 1175-76 Dated: 21/02/2023

आवश्यक सूचना/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-10, रोहिणी, नई दिल्ली-110089.